

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक: 15.10.2006

कारखाने का बीमा हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2024-25

कारखाने का बीमा हेतु द्वितीय ई-निविदा की नियम एवं शर्तें



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

बीमा कम्पनी का नाम व पता
.....
.....



दिनांक -

M.M.
निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर
G.M. (Admin)
M.M.S.K. Ambikapur

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कारखाने का बीमा हेतु द्वितीय ई-निविदा वर्ष 2024-25

निविदा प्रपत्र

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 2002(05)

दिनांक 29/11/2024

ऑन लाईन ई-निविदा क्रमांक 162119

पेराई सत्र 2024-25 के लिए कारखाने का बीमा हेतु द्वितीय ई-निविदा आंमत्रित की जाती है।

1	बीमा कम्पनी/फर्म का नाम	श्री/मेरसर्स
2	फर्म का पता	:.....
3	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ब्याहु रुपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को www.eproc.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 30/11/2024 को रात्रि 09.00 बजे से दिनांक 10/12/2024 को समय दोपहर 12.00 बजे तक www.eproc.cgstate.gov.in से निर्धारित शुल्क जमा कर डाउनलोड कर भरकर अपलोड सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 10/12/2024 को समय अपराह्न 04.00 बजे के बाद।



प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम-केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर
ग्राम-केरता जिला सूरजपुर (छोगो)

कारखाने का बीमा हेतु द्वितीय ई-निविदा वर्ष 2024-25

1. बीमा कंपनी/फर्म का नाम :
2. पता :
3. मोबाइल नं. :
4. ई-मेल आई.डी. :
5. जी.एस.टी. नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें) :
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें) :
7. बैंक का नाम :
8. खाता क्रमांक :



निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर

-:: निविदा की शर्तें ::-

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 2002(05)

दिनांक 29/11/2024

1. निविदाकार को भाग-2, तकनीकी भाग के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, एवं वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में से किसी तीन वर्ष का किन्तु लगातार वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट अथवा आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. भाग-2, तकनीकी भाग में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं भाग-3, व्यावसायीक भाग में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. बीमा हेतु दर जी.एस.टी. रहित दिया जाना होगा दी गई दर पर जी.एस.टी. अतिरिक्त दी जावेगी, जी.एस.टी. के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कर कम्पनी को वहन करना पड़ेगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा। जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारखाना को जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके। जी.एस.टी. का क्रेडिट नहीं मिलने पर अब्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
4. बीमा पॉलिसी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पॉलिसी का नाम	विवरण
01	रेटेण्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल्स	बिल्डिंग, बाऊडरी वाल फर्नीचर इलेक्ट्रीकल फिटिंग रु. 70 लाख प्लॉट एवं मशीनरी रु. 20 करोड़, स्टॉक शक्कर एवं कच्चा स्कंध 62 करोड़ मोलासिस एवं अब्य सह उत्पाद 03 करोड़
02	एम्प्लायर्स लाईबलीटीस इंश्यूरेन्स	लिपिक, ऑफिस, तकनीकी कर्मचारी संख्या 253 क्रसिंग सीजन में लगभग 462 श्रमिक कुल अनुमानित वार्षिक वेतन 4.36 करोड़
03	बॉलयर एक्सप्लोजन पॉलिसी	क्षमता 65 टन प्रति घण्टा इंधन बॉयलर की कीमत लगभग 4.35 करोड़ 1. तृतीय पक्ष सम्पति नुगसान - 50 लाख 2. तृतीय पक्ष व्यक्तिगत दुर्घटना - 50 लाख 3. खब्य की सम्पति 50 लाख
04	STFI Cover & Burglary	अग्नि एवं विशेष खतरों मानक अनुसार एवं चोरी 10 करोड़ (Standard Fire & Allied Perils With STFI Cover & Burglary)
05	Group Personal Accident Insurance	अधिकारियों हेतु बीमित राशि 10.00 लाख प्रति व्यक्ति, संख्या 10 तकनीकी कर्मचारियों हेतु बीमित राशि 05.00 लाख प्रति व्यक्ति, संख्या 150 लिपिकीय कर्मचारियों हेतु बीमित राशि 04.00 लाख प्रति व्यक्ति, संख्या 50

5. निविदाकार कम्पनी अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अभिकर्ता को निविदा में भाग लेने हेतु भेजने पर अभिकर्ता/एजेन्ट प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पर प्रस्तुत करना होगा।



6. कारखाने का बीमा हेतु अवधि दिनांक 28/01/2025 से 27/01/2026 तक के लिए होगा।
7. कारखाने में मशीनरी पार्टस क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त सामाग्री का मूल्य बीमा कम्पनी से अविलंब दिलाने हेतु समर्त प्रकार की कार्यवाही करना होगा।
8. कारखाना में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर किया जाना अनिवार्य होगा एवं बीमा भुगतान की कार्यवाही सरल प्रक्रिया के तहत करना होगा।
9. कार्यालयीन आदेश प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब अनुबंध करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में भुगतान संभव नहीं होगा। कारखाना बीमा की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व बीमा सम्बंधी समर्त प्रकार की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
10. बीमा निविदा की व्यावसायिक भाग में दी गई समर्त बिन्दु अनुसार बीमा कराया जाना है कारखाना की प्लॉट मशीनरी, अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर, बिल्डिंग, शक्कर एवं सह-उत्पाद, कच्चा खंड, की चोरी एवं प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटना तथा एक्ट ऑफ गॉड होने पर बीमा कवर किया जाना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम व्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
12. प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कायदेश निरस्त करने सम्बंधी पूर्ण अधिकार होगा।



निविदाकार कम्पनी/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं..... फर्म

.....प्रतिनिधि का नाम.....

पिता का नामपता.....

.....का निवासी

हुँ मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

- 1.मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करेंगा।
- 2.मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समर्थत जानकारी मुझे है।
- 3.मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।



निविदाकार का हस्ताक्षर